

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास ओम प्रकाश शर्मा आरएएस

रामलाल

बनाम

मालीराम आदि

दावा बाबत बंटवारा, रिकार्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 16.01.2018

मुकदमा नं० 175/2015/दावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ओम प्रकाश शर्मा आरएएस बहाजरी श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई व - मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भू.अ./17/1496 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:-

1- ग्राम अहीरका बास प.मं. रामगढ तहसील दांतारामगढ

खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1. मालीराम, जीवणराम, गोर्धन, लालाराम पि. मोहनलाल जाति बलाई हि.ब. सा.देह खातेदार	163	0.0200	बा. 4	0.04
	164/2	2.4300	बा.4	4.86
	किता-2	2.4500	-	4.90
2. रामलाल पुत्र काशीराम जाति रैगर नि. गणगौर नगर, ए.बी. रोड इन्दौर (मध्य प्रदेश) खातेदार	164/1	1.9000	बा.4	3.80
	196/2	0.5400	बा.4	1.08
	किता-2	2.4400	-	4.88
3. पदमाराम, दुर्गालाल पि. कानाराम हि.ब. जाति खटीक सा.देह खातेदार	192	0.0500	बा.4	0.10
	193	2.1000	बा.4	4.20
	196/1	0.2900	बा.4	0.58
	किता-3	2.4400	-	4.88
4. मालीराम, जीवणराम, गोर्धन, लालाराम पि. मोहनलाल जाति बलाई सा.देह हि. 1/3 हि.ब. रामलाल पुत्र काशीराम जाति रैगर नि. गणगौर नगर, ए.बी. रोड इन्दौर (मध्य प्रदेश) हि. 1/3, पदमाराम, दुर्गालाल पि. कानाराम हि.ब. जाति खटीक सा.देह हि. ब.हि. 1/3 खातेदार	197	0.2600	गै.मु. रास्ता	-
	किता-1	0.2600	गै.मु. रास्ता	-

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिग..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 जनवरी, 2018 को जारी की गई।

मोहर



दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ	4	00			
मीजान	11	00	मीजान		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 175/15/दावा

रामलाल पुत्र काशीराम उर्फ दयाराम आयु 47 साल जाति रैगर/मोची निवासी गणगौर नगर, ए.बी. रोड इंदौर (मध्य प्रदेश) हाल आबाद 64 अमर पैलेस कॉलोनी चौहतराम सब्जी मंडी के पास, राजेन्द्र नगर, इंदौर (मध्य प्रदेश) जरिये मुख्तार आम सुखाराम पुत्र श्योचंद जाति कुमावत निवासी रावपियों की ढाणी तन अहीरका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

-वादी

ब न म

1. भालीराम
2. जीवणराम
3. गोरधन
4. लालाराम

पुत्रगण मोहनलाल

5. पदमाराम
6. दुर्गालाल

पुत्रगण स्व. कानाराम

7. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
8. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति-

1. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
निर्णय

दिनांक- 16.01.2018

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ